

विविध बैंक प्रकरण संख्या 68/2022(GCMS : 2022/100) बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा फूसेवाला श्रीगंगानगर, राजस्थान -335038 बनाम 1. चेत राम पुत्र जसराम पता वार्ड नं. 06, गांव 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान 2. दीपिका वर्मा पत्नी चेत राम निवासी वार्ड नं 06, गांव 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान 3. जय चंद पुत्र मोहन लाल निवासी वार्ड नं 07, गांव 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

16.01.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक श्री समीर यादव, प्राधिकृत कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में उनके द्वारा प्रार्थी बैंक की ओर से विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है, जो शामिल पत्रावली है।


मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 20.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण चेत राम, दीपिका वर्मा एवं जय चंद के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में चेताराम की आवासीय सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 5 (क्षेत्रफल 1804 वर्गफीट) जो 2 एम फूसेवाला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।



64
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर